सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18/2/20

वक्तव्य उपरा
बहस उपरांत पुनी गई। वरीष्ठ प्रार्थी ने
अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत
के खसरा ग्राम आमली जिला जीवर से ग्राम
पायली अलग होने के बाद ग्राम पायली से बनवासा
में आबाद हुए। ग्राम बनवासा में प्रार्थीगण के
पूर्वजों ने ठाकुर जी का मंदिर की स्थापना
की। जिस मंदिर की पूजा सेवा से प्रार्थीगण
के पूर्वजों द्वारा की जाती रही। ठाकुर जी का
मंदिर जीर्ण शीर्ण होने के कारण उक्त मंदिर
के नव निर्माण की आवश्यकता हुई जिस पर
ग्रामवासियों ने मंदिर के नवनिर्माण व पूजा
करने की आवश्यकता व्यक्त की तब गांव व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व परिवार के मुखिया ने यह निश्चय किया कि ठाकुर जी के मंदिर का पुनः निर्माण जो करवायेगा वह खसरा नं. 196 रकबा 24.08 बीघा सम्पूर्ण भूमि का उपयोग व उपभोग में लेगा। अप्रार्थीगण भी मंदिर की सेवा अर्चना हेतु तब 1/2 हिस्सा ले लेवें। खसरा नं. 196 प्रार्थी मंगलीलाल के कब्जे काश्त का है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करे कि वे निर्माण कार्य नहीं करे तथा विरोध [illegible] भाग का बेचान नहीं करें।	
	वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि ख० नं. 196 रकबा 24.08 बीघा पर अकेले प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त खसरा पसनाराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि गांव व परिवार के मुखिया ने यह निश्चय किया हो कि जो ठाकुर जी के मंदिर का नव निर्माण करवायेगा वह खसरा नं. 196 की भूमि का उपयोग करेगा। अप्रार्थी रूकदेव ने बंटवारा का दावा पेश कर रखा है जो नामनाजी खेती का है। प्रार्थी एकतर्फा पंजीयन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लेकर आये है। [illegible] के साथ पर प्रार्थी पत्र के हस्ताक्षर तक नहीं है। विवादित	
	(हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Scanned by CamScanner

रोकने के आदेश मात्र पर उक्त अप्रार्थीगण को ही प्रार्थीगण के पक्ष में अपूरणीय हानि, सुविधा का सन्तुलन तथा प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस के तर्कों पर मनन किया। तर्कों पर रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करके तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली मीजान शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.03.03 16:14:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: